न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 01/2024 विविध

GCMS No. 2016/00094

1. पृथ्वीराज पुत्र रावतराम जाति जाट साकिन अर्जुनसर स्टेशन तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन अर्जुनसर स्टेशन तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
3. बाबूलाल पुत्र गणपतराम जाति ब्राहमण साकिन खानीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. विधा देवी पत्नि मोहनलाल जाति भाट निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. मोहित चौधरी पुत्र सुल्तान राम जाति कुम्हार साकिन चक 8 एल.एल.जी तहसील सादुलशहर (लालगढ जाटान) खरीददार।
3. हरजिन्द्र सिंह पुत्र गुरूचरण सिंह जाति जटसिख साकिन उत्तमसिंहवाला तहसील हनुमानगढ़। खरीददार
4. गिरधारी वल्द बलवन्तराम जाति नायक निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर बीकानेर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणकरनसर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सूरतगढ़।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः राजेश वैद — अभिभाषक अपीलांट्स
विजय कुमार पारीक — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स नं 2 ता 3

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 28.08.2025

यह प्रार्थना–पत्र चक 110 आरएलडी (मोकलसर) तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर एवं अर्जुनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर की रोही की सीव के विवाद को दुरूस्ती कर चक 110 आरएलडी तहसील में किए गए आवंटन को निरस्त कर अन्यत्र रकबा दिये जाने हेतु प्रस्तुत हुआ है। प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि रोही अर्जनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर एवं चक 110 वर्तमान चक 110 आरडीएल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर की सीमाएं आपस में मिली हुई है। उक्त वादगत भूमि रोही अर्जनसर तहसील लूणकरनसर के खसरा नंबर 83, 83/2, 83/3, 86/1, 86/2, 86/4, 86/5 के रूप में दर्ज है और यही खसरा नंबर चक 110 आरडीएल के मु.न. 36, 37, 38, 39, 49 के रूप में डबल दर्ज हुआ है। रोही अर्जनसर तहसील लूणकरनसर के खसरा नंबर 82 में 2 बीघा, 83 में 4 बीघा व 86 में 4 बीघा कुल 10 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी उत्तर बीकानेर द्वारा प्रार्थी संख्या 3 को आवंटित हुई। प्रार्थी संख्या 3 द्वारा उक्त भूमि को प्रार्थी संख्या 2 राजेन्द्र कुमार का विक्रय कर दी गई, जो राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। इसी रोही अर्जनसर तहसील लूणकरनसर के खसरा नंबर 83 मिन की 3.09 बीघा, 86 मिन में 3.11 बीघा कुल 7 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी उत्तर बीकानेर द्वारा हरिराम पुत्र रावतराम को आवंटित हुई। हरिराम पुत्र रावतराम द्वारा उक्त आवंटित भूमि को प्रार्थी संख्या 1 पृथ्वीराज पुत्र रावतराम को विक्रय कर दी गई जो राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार अप्रार्थी विद्या देवी पत्नि मोहनलाल को चक 110 एल वर्तमान चक 110 आरडीएल तहसील सूरतगढ के मु.न 39 के प.स. 128/55 के किला नंबर 02 की 10 बिस्वा, किला नं 3 ता 8 की 6 बीघा, 9 की 19 बिस्वा, 12 ता 18 की 7 बीघा 19 की 10 बिस्वा कुल 15.बीघा 19 बिस्वा भूमि आंवटित की गई। इसलिए इस भूमि का दो जगह राजस्व रिकॉर्ड बन जाने से चक 110 आरडीएल तहसील सूरतगढ़ का बिना रिकॉर्ड में भूमि हुए डबल बना दिया गया। उक्त डबल आवंटन से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश बैद ने अपनी बहस में कथन किया है उक्त वादग्रस्त भूमि रोही अर्जनसर तहसील लूणकरनसर के खसरा नंबर 82 में 2 बीघा, 83 में 4 बीघा व 86 में 4 बीघा कुल 10 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी उत्तर बीकानेर द्वारा प्रार्थी संख्या 3 को आवंटित हुई। प्रार्थी संख्या 3 द्वारा उक्त भूमि को प्रार्थी संख्या 2 राजेन्द्र कुमार को विक्रय कर दी गई, जो राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। इसी रोही अर्जनसर तहसील लूणकरनसर के खसरा नंबर 83 मिन की 3.09 बीघा, 86 मिन में 3.11 बीघा कुल 7 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी उत्तर बीकानेर द्वारा हरिराम पुत्र रावतराम को

बतौर मुआवजा आवंटित हुई। हरिराम पुत्र रावतराम द्वारा उक्त आवंटित भूमि को प्रार्थी संख्या 1 पृथ्वीराज पुत्र रावतराम को विक्रय कर दी गई जो राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। उक्त वादगत भूमि के पर आज भी प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थीगण के नाम तरमीम है। जिसमें संबंध में प्रार्थीगण ने जमाबंदी, खसरा गिरदावरी व राजस्व नक्शा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की हैं। किन्तु यही भूमि दौहरे रूप से नपाई की गलती के कारण रेस्पोडेन्ट को आवंटित कर दी गई, परन्तु आवंटन के पश्चात आज दिनांक तक मौके पर भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया है। मौके पर कब्जा नही प्राप्त होने व काश्त नही करने से आवंटन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता हैं। उक्त आवंटन आदेश कब्जा नहीं लेने के कारण निष्प्रभावी होने पर भी राजस्व रिकॉर्ड में इस विलोपित ना करके त्रुटिपूर्ण रूप से आज भी अंकन चला आ रहा है। इस लिए प्रार्थीगण विवाद समाप्त करने के लिए यह प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वादगत भूमि मौके पर चकबंदी में न होकर ग्राम अर्जनसर तहसील लूणकरनसर में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दुरूस्ती की जाकर खसरा नं. 83, 83/2, 83/3, 86/1, 86/2, 86/4, 86/5 83, 83, 83/2,3 मौजा रोही अर्जुनसर स्टेशन की भूमि हैं तथा चक 110 आरएलडी (मोकलसर) के मुरब्बा नं. 36, 37, 38, 39, 49 की 76 बीघा भूमि का रकबा हटाया जावें। उक्त मुरब्बा नंबर के आंवटि का रक्बा दुरूस्त किया जावें। यानि श्रीमती विद्यादेवी पत्नि मोहनलाल भाट ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ व गिरधारी वल्द बलवन्तराम नायक निवासी श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ का आवंटन निरस्त किया जावें।

3– रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 4 के निमित्त सम्मन एवं पुनः रजिस्टर्ड सम्मन जारी होने के बावजूद भी इनकी और से कोई उपस्थित नही होने पर रेस्पोडेन्ट्स 1 व 4 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 श्री विजय कुमार पारीक ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी विद्या देवी पत्नि मोहनलाल को चक 110 एल वर्तमान चक 110 आरडीएल तहसील सूरतगढ के मु.न 39 के प.स. 128/55 के किला नंबर 02 की 10 बिस्वा, किल नं 3 ता 8 की 6 बीघा, 9 की 19 बिस्वा, 12 ता 18 की 7 बीघा 19 की 10 बिस्वा कुल 15 बीघा 19 बिस्वा भूमि आंवटित की गई। विद्यादेवी की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि उनके वारिसान कमला, रामप्रताप एवं सोना के नाम रिकॉर्ड में दर्ज हुई। विद्यादेवी के वारिसान कमला, रामप्रताप एवं सोना ने उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 वहिस्सा वरावर विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय का पंजीयन उप पंजीयक राजियासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर द्वारा किया गया हैं। जिससे स्पष्ट है उक्त चक एवं भूमि उप पंजीयम के क्षेत्र में जिला श्रीगंगानगर में हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 ने उक्त भूमि पर एचडीएफसी बैंक से जरिये रहननामा केसीसी भी ले रखी हैं। भारत सरकार के परिवहन मत्रांलय के नाम दर्ज भूमि में भी उक्त भूमि चक 110 आरडीएल पत्थर नं. 128/55 मुरब्बा नंबर 39 तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर दर्ज

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर राजस्थान द्वारा दिनांक 23.11.2023 अपील संख्या 61/2023 अनवान विद्यादेवी बनाम पृथ्वीराज आदि में भी उक्त भूमि जिला श्रीगंगानगर के क्षेत्र में होने का फैसला पारित किया। फैसले के मुख्य बिन्दु विद्यादेवी का आंवटन 28.02.1984 किलाबंदी रकबा पहले का है जबकि दोनों प्रार्थी पृथ्वीराज एवं राजेन्द्र कुमार द्वारा खरीदशुदा खसरा भूमि का आवंटन 1987 एवं 1999 में हुआ हैं। विद्यादेवी को आवंटन के पश्चात सनद् भी जारी हो चुकी हैं। आवंटन के 35 वर्ष बाद आवंटन को चुनौती नहीं दी सकती है। एक बार खातेदारी मिलने के पश्चात सनद् निरस्त नही हो सकती है। इसके अतिरिक्त एक बार खातेदारी सनद् जारी होने के पश्चात भूमि का बेचान हो जाये तो सनद् या आंवटन निरस्त नहीं हो सकता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किया जावें।

5– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 30.11.2000 अनवान हुकमाराम वगैरह बनाम बागाराम में निर्णय पारित करते हुए संभागीय आयुक्त बीकानेर को स्पष्ट किया है कि जहां प्रकरण दो जिलों की एक ही भूमि के ओवरलेप से संबंधित वहां सुनवाई का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त को है। उक्त वादगत भूमि विद्यादेवी पत्नी मोहनलाल को दिनांक 28.02.1984 को आंवंटित हुई। उक्त आवंटन के पश्चात खातेदारी सनद् भी जारी हो चुकी हैं, तत्पश्चात् विरासतन इंतकाल दर्ज हो चुका है। उक्त वारिसान द्वारा वादगत भूमि का बेचान किया जा चुका है। श्रीगंगानगर जिले के राजस्व अधिकारियों द्वारा वादगत भूमि के संबंध में समय–समय पर राजस्व से संबंधित आदेश पारित है। प्रथम पुख्ता आवंटन विद्या देवी को उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 28.02.1984 को हुआ था। उक्त आवंटन दिनांक 28.02.1984 के लगभग 32 वर्ष बाद आवंटन को निरस्त करने बाबत अपील पेश की है। वादगत भूमि की सनद् जारी होकर जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश दिनांक 28.02.1984 को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं होने के कारण अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

6– तदनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर